न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-70/2011

मालाराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट---

--बनाम--

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 8-11-2011 द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दिनांक 19-9-11 द्वारा तहसीलदार, नवलगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजयसिंह बोराणा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक- 9.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार नवलगढ को रिपोर्ट की कि मालाराम पुत्र हनुमान जाट ने सम्वत 2067 में ख0नं02722 रकबा 0.90 हैक्टर गै0मु0 नदी में से 500 वर्गमीटर पर पक्का निमार्ण कर अतिक्रमण किया है । इस पर तहसीलदार ने गैर सायल को राज0भू-राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी किया। अदालत मातहत ने गैर सायल को सुनकर गैर सायल को उक्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जहां पर सुनवाई करते हुये

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । आराजी ख0नं0 2722 के पूर्व खसरा नं0 1644 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा बारा--नी प्रथम जिसका लगान 3/-रूपये 66 पैसे था । रेकार्ड के अनुसार आसकंवर, उम्मेदसिंह, नारायणसिंह, सुमेरसिंह, किशोरसिंह, शिवसिंह आदी की खातेदारी की भूमि रही है। जिसको राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने गलती से बिना किसी आधार के गैर मुमकीन नदी दर्ज कर दिया । जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । मूल रूप से यह आराजी आसकंवर उम्मेदसिंह आदी के खातेदारी की थी । जिनको बिना सुनवाई का मौका दिये ही खातेदारी भूमि को राजकीय दर्ज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवेहलना की है ।भू-प्रबन्ध विभाग की गलती का दण्ड खातेदार को नहीं दिया ता सकता ।अदालत मातहत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-116 का हवाला देकर आदेश पारित किया है जबकि यह आराजी पूर्व में बारानी प्रथम रही है जो खातेदारी में दर्ज रही है । भू-प्रबन्ध की गलती से गै0मु0 नदी दर्ज की गई है । भू-प्रबन्ध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व भी उक्त आराजी खातेदारी काश्तकारी की रही है । यह आराजी कोई आंवटित आराजी नहीं है । अदालत मातहत का निर्णय उचित नहीं राजस्व रेकार्ड का बिना अवलोकन किये पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आराजी ख0नं0 2722 जिसके गत ख0नं0 1644 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम परसरामपुरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पूर्व ही आसकंवर उम्मेदसिंह आदी की खातेदारी में रही है जिसकी किस्म बारानी प्रथम दर्ज है तथा लगान 3/- रूपये 66 पैसे कायम किये हुये है ।इस खातेदारी की आराजी को सैटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों ने बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गै0मु0 नदी दर्ज करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट ने इस बाबत राजस्व रेकार्ड पेश किया किन्तु अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड को नजर अन्दाज कर अपना आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में उक्त आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते मानकर आदेश देने में विधिक भूल की है ।उक्त भूमि की खातेदारी तो पूर्व से ही आसकंवर उम्मदसिंह आदी की खातेदारी में दर्ज है इस आराजी को तो सैटलमेन्ट विभाग ने दौराने सैटलमेन्ट गलत रूप से नदी दर्ज कर दिया जिसकी सजा अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती । विवादित आराजी खातेदारी की है जिसकी किस्म बारानी प्रथम लगानी दर्ज है। यह कभी भी गै0 मु0 नदी नहीं रही है ।जिसके सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड पेश किया गया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज है ।गै0मु0 नदी की खातेदारी किसी भी स्थिति नहीं दी जा सकती ।यह आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 में वर्जित है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बाद अपीलान्ट मालाराम को राज0 भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस जारी किया गया । नोटिस जारी होने के बाद अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए एक माह का समय चाहा । अदालत मातहत ने साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। इससे अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का समय नहीं दिया गया । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 1644मी0 के नये खसरा नं0 5192/3361 बने तथा पुराने ख0नं0 5192/3361 के हाल ख0नं0 2722 हैक्टर बने। जमाबन्दी सं0-2021 से2024, 2025 से 2028, 2033 से 2036 तक खातेदारी में दर्ज है ।इसके बाद यह आराजी गै0मु0 नदी दर्ज है जो राजकीय भूमि है । जिस पर अपीलान्ट ने 500 वर्गमीटर पर पक्का निमार्ण किया है जिससे अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश दिया है । अदालत मातहत का निर्णय गै0मु0 नदी की आराजी होने पर बेदखली का आदेश उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झूनू का निर्णय दिनांक8-11-2011 एवं तहसीलदार नवलगढ का निर्णय दिनांक 19-9-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 9.4.2018 को सुनाया गया ।

(signature) 9/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर